

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्र०क्र०-287/13

संस्थित दिनांक-30.05.13

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

मनोज पुत्र पोतीलाल शर्मा उम्र 30 साल

निवासी ग्राम विरखडी थाना गोहद चौराहा।

जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 16.08.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 03.05.13 को 12 बजे मौ मेहगांव रोड रामौतर ओझा की तेल मिल के सामने थाना मौ जिला भिण्ड पर महिन्द्रा टेक्टर 575 डी०आई० वाहन को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादवि० की धारा 337 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 03.05.2013 को दोपहर करीब 12 बजे फरियादी नारायण कुशवाह अपने लडके मनोज के साथ मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-30 एम०ई० 3335 से कस्बा मौ जारहा था। मोटरसाईकिल को मनोज चला रहा था। रामौतर ओझा के तेल मिल के सामने मोटरसाईकिल पहुंची इतने में मेहगांव तरफ से एक टेक्टर महिन्द्रा 575 डीआई लाल रंग का मय ट्राली के उसका चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से आहत मनोज को दाएं पैर व दाएं हाथ में चोट आई। टेक्टर चालक टेक्टर ट्राली को छोड़कर भाग गया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र०-64/13 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए वाहन जब्त कर जब्ती

पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तार पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य न होने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.05.13 को 12 बजे मौ मेहगांव रोड रामौतर ओझा की तेल मिल के सामने थाना मौ जिला भिण्ड पर महिन्द्रा टेक्टर 575 डीआई0 वाहन को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में नारायण अ०सा० 1, मनोज अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

// विचारणीय प्रश्न पर निष्कर्ष //

7. फरियादी नारायण अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना साक्ष्य से चार साल पहले गर्मियों के दिनों की है। वे अपने लड़के मनोज के साथ मोटरसाईकिल से दवा लेने मौ जा रहे थे। मोटरसाईकिल को उनका लड़का चला रहा था। आंधी चल रही थी और धूल उड़ रही थी इतने में उनकी मोटरसाईकिल एक टेक्टर महिन्द्रा लाल रंग से टकरा गया। साक्षी यह कथन करता है कि उसने टेक्टर का नंबर नहीं देख पाया और न ही यह देख पाया कि कौन चला रहा था। यह भी कथन करता है कि टेक्टर आराम से चल रहा था किन्तु आंधी चलने के कारण उनकी मोटरसाईकिल टकरा गयी जिसके कारण लड़के के पैर में चोट आई और वह बेहोश हो गया था। घटना की रिपोर्ट लिखाया जाना व नक्शा मौका प्र०पी० 2 बनाए जाने व दोनों पर अपने अंगूठा निशानी होने का कथन करते हैं। आहत मनोज अ०सा० 2 भी इसी प्रकार से कथन करते हैं कि वे अपने पिता के साथ मोटरसाईकिल से दवा लेने जा रहे थे और आंधी चल गयी थी और धूल उड़ गयी थी इतने में उनकी मोटरसाईकिल महिन्द्रा लाल रंग के टेक्टर से टकरा गयी थी। साक्षी बताता है कि टेक्टर आराम से चल रहा था किन्तु उसकी मोटरसाईकिल आंधी के कारण टकरा गयी। उक्त दोनों ही साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अधिरोपित आरोप के संबंध में कोई समर्थन नहीं करते हैं। उक्त दोनों ही साक्षी पुलिस को कोई भी बयान देने से इंकार करते हैं। ऐसे में अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है।

8. प्रकरण में आहत मनोज अ०सा० 2 एवं फरियादी नारायण अ०सा० 1 दोनों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिए गए। उक्त दोनों ही साक्षी सूचक प्रश्नों में अभिकथित महिन्द्रा टेक्टर

के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में इंकार करते हैं। दोनों साक्षी पुलिस कथन क्रमशः प्रपी0 3 व 4 में तेजी व लापरवाही से टेक्टर चालक द्वारा टेक्टर चलाकर मोटरसाईकिल में टक्कर मार देने के तथ्य से इंकार करते हैं। फरियादी नारायण अ0सा0 1 रिपोर्ट प्र0पी0 1 में उक्त तथ्य लिखाए जाने से इंकार करते हैं। इस प्रकार से प्रकरण के सारवान साक्षियों द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन न करते हुए अपने पूर्वतन कथनों में सारवान विरोधाभास एवं लोप दर्शित किए हैं। प्रकरण में सर्वोत्तम साक्षीगण द्वारा कथित टेक्टर को उसके चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने का समर्थन नहीं किया गया है। ऐसी दशा में अभियोजन का मामला संहिता की धारा 279 के आरोप के संबंध में संदिग्ध हो जाता है।

9. संहिता की धारा 279 के अपराध को प्रमाणित किए जाने के लिए वाहन के अभियुक्त द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने के संबंध में तर्क पूर्ण साक्ष्य होना आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। अभियोजन का तर्क है कि प्रकरण में फरियादी व आहत द्वारा राजीनामा कर लिया गया है किन्तु आहतगण द्वारा राजीनामा के कारण असत्य कथन किए जाने के सुझाव से इंकार किया है। जहां तक प्र0पी0 1 की प्राथमिकी, प्र0पी0 3 व 4 के पुलिस कथन का प्रश्न है तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका उपयोग साक्षी के पूर्वतन कथन के संबंध में विरोधाभास और लोप को दर्शाने हेतु किया जा सकता है। स्वयं दस्तावेज सारवान साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकते हैं। दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 03.05.13 को 12 बजे मौ मेहगांव रोड रामौतर ओझा की तेल मिल के सामने थाना मौ जिला भिण्ड पर महिन्द्रा टेक्टर 575 डी0आई0 वाहन को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतः अभियुक्त को धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

12. प्रकरण में जब्त शुदा संपत्ति उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

13. अभियुक्त की निरोधावधि यदि हो तो उसके संबंध में धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश